न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौहान आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 65/2021

प्रार्थी

मांगीलाल पुत्र दलाराम जाति राजपुरोहित निवासी इन्द्राणा तहसील सिवाना जिला बाडमेर राज.

बनाम

विप्रार्थीगण

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना
2. अर्जुनसिंह श्पुत्र वगताजी जाति राजपुरोहित निवासी इन्द्राणा
3. लादुसिंह पुत्र गिरधारीजी जाति राजपुरोहित निवासी इन्द्राणा
4. सुजानसिंह पुत्र गिरधारीजी जाति राजपुरोहित निवासी इन्द्राणा
5. चौथी पत्नी गिरधारीजी जाति राजपुरोहित निवासी इन्द्राणा तहसील सिवाना जिला बाडमेर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री कैलाशपुरी अधिवक्ता प्रार्थी
2. विप्रार्थीगण अनुपस्थित

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 01-08-2022

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईयश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गय। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2071 –2074 सरहद मौजा इन्द्राणा पटवार मण्डल इन्द्राणा तहसील सिवाना के खेत खसरा नम्बर 1910/880 रकबा 0.8822 हैक्टेयर व खसरा संख्या 880/1346 रकबा 0.8822 हैक्टयर किस्म धोरा भूमि का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थी का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थी अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना

नों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थी विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिवाना को आदेशित किया जाता है कि दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा इन्द्राणा पटवार मण्डल इन्द्राणा तहसील सिवाना के खेत खसरा नम्बर 1910/880 रकबा 0.8822 हैक्टेयर व खसरा संख्या 880/1346 रकबा 0.8822 हैक्टयर किस्म धोरा भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार सिवाना को 1000/- शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थी मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार सिवाना को थानाधिकारी पुलिस थाना सिवाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार सिवाना बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सिवाना
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 01.08.2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सिवाना
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बाड़मेर)

क्रमांकः वाद/2022/1532

दिनांक : 05-08-2022

प्रार्थी — **बनाम** — **विप्रार्थीगण**

मांगीलाल — **राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सिवाना वगैरह**

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी</u>

राजस्व आवेदन सं 65/2021 — निर्णय दिनांक :– 01.08.2021

–:: आदेश ::–

उपरोक्त प्रकरण में ग्राम इन्द्राणा पटवार मण्डल इन्द्राणा भू.अ.निरीक्षक थापन के खेत 1910/880 रकबा 0.8822 हैक्टेयर व खसरा संख्या 880/1346 रकबा 0.8822 हैक्टयर किस्म धोरा की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार....सिवाना को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फींस रूपये 1000/–प्रार्थी अदा करेंगे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना (बाड़मेर)

क्रमांकः वाद/2022/1533

दिनांक : 05-08-2022

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार सिवाना
2. थानाधिकारी पुलिस थाना सिवाना
3. हल्का पटवारी इन्द्राणा को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. प्रार्थी मांगीलाल पुत्र दलाराम जाति राजपुरोहित निवासी इन्द्राणा तहसील सिवाना जिला बाडमेर राज.

उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना (बाड़मेर)